संशोधित

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या– 1050 /I/2015-5/14/2009
देहरादून : दिनांक : 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013 के प्रस्तर–28 के प्राविधानों में निहित व्यवस्था के आलोक में, इस नीति में निम्न तालिका के अनुसार स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियमों के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियमों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" वर्तमान नियम स्तम्भ–1	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" पुनरीक्षित नियम स्तम्भ–2
1.	(15) समय अनुसूची इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय अनुसूची निम्नलिखित है: क) सौर पी0वी0 हेतु – परियोजना आवंटन की तिथि से *18 माह।*	(15) समय अनुसूची इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय अनुसूची निम्नलिखित है: क) सौर पी0वी0 हेतु – परियोजना आवंटन की तिथि से *12 माह।*
2.	(17) प्रतिभूति जमा (दो) निजी भूमि पर संस्थापित परियोजना :– सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप में रू0 5 लाख प्रति मेगावॉट या उसके भाग की दर से जमा कराने होंगे। बैंक गारंटी की मान्यता सौर पीवी परियोजनाओं के मामले में *24 माह* होगी।	(17) प्रतिभूति जमा (दो) निजी भूमि पर संस्थापित परियोजना :– सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप में रू0 5 लाख प्रति मेगावॉट या उसके भाग की दर से जमा कराने होंगे। बैंक गारंटी की मान्यता सौर पीवी परियोजनाओ के मामले में *15 माह* होगी।
3.	संलग्नक–3 क) सौर पी वी परियोजनाओं और सौर तापीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय योग्यता मानदण्ड :– निवल संपत्ति कंपनी की "निवल संपत्ति" परियोजना क्षमता के *रू0 3.00 करोड़* या उसके समतुल्य यूएस डॉलर प्रति मेगावॉट की दर पर परिकलित मूल्य के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिये।	संलग्नक–3 क) सौर पी वी परियोजनाओं और सौर तापीय परियोजनाओं के लिये वित्तीय योग्यता मानदण्ड :– निवल संपत्ति कंपनी की "निवल संपत्ति" परियोजना क्षमता के *रू0 1.50 करोड़* या उसके समतुल्य यूएस डॉलर प्रति मेगावॉट की दर पर परिकलित मूल्य के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिये।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना में निहित बिन्दु सं0–15, 17 एवं संलग्नक–3 के (क) में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त शेष नियम अधिसूचना सं0–1044/I/2013-5/14/2009 दि0–27–06–2013 के अन्य सभी प्राविधान यथावत् मान्य होंगे।

उक्त संशोधित अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1050/I/2015-5/14/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
5. सचिव समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/उपाकालि/पिटकुल, देहरादून।
7. निदेशक, राजकीय फोटो लीथो प्रैस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव

Scanned by CamScanner

संशोधित

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या– /I/2018-05/14/2009
देहरादून : दिनांक : 26 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013 के प्रस्तर–28 के प्राविधानों में निहित व्यवस्था के आलोक में, इस नीति में निम्न तालिका के अनुसार स्तम्भ–1 में उल्लिखित नियमों के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियमों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" वर्तमान नियम	"उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013" पुनरीक्षित नियम
	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
नीति के उद्देश्य	• कोयला, गैस और तेल जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा हरित व स्वच्छ ऊर्जा का प्रोन्नयन; • वर्ष 2017 तक 500 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य; • राज्य में रोज़गार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न करना; • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेशकों की संबद्धता हेतु सहायक परिस्थितियों का सृजन; • सौर ऊर्जा स्रोत के उपयोग में वृद्धि करना ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण में सहायता मिले।	• कोयला, गैस और तेल जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा हरित व स्वच्छ ऊर्जा का प्रोन्नयन; • विलोपित। • राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के साथ–साथ रोज़गार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न करना; • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेशकों की संबद्धता हेतु सहायक परिस्थितियों का सृजन; • सौर ऊर्जा स्रोत के उपयोग में वृद्धि करना ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण में सहायता मिले।
7.	योग्य यूनिटें :–	योग्य यूनिटें :–
	इस नीति के अधीन सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये सभी पंजीकृत कंपनियां, फर्म्स, संस्थाएं, सोसायटीज़, केन्द्र व राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता योग्य होंगे।	इस नीति के अधीन सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये सभी पंजीकृत कंपनियां, फर्म्स, संस्थाएं, सोसायटीज़, केन्द्र व राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता योग्य होंगे। **उक्त के अतिरिक्त राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 05 मेगावॉट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाऐं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के**

F:\Heena\Acts Rules & Notifications of Energy Department\Ureda\Amendment in Uttarakhand Solar Power Policy-2013 (Notification).docx

Scanned by CamScanner

				आवंटन हेतु उपलब्ध होंगी।
प्रस्तर–8	सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं का चयन :–		8.	सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं का चयन :–
	(क)	प्रकार एक परियोजनाएं :– उत्तराखण्ड सरकार यहां के डिस्कॉम को विद्युत की सीधी बिक्री के लिये सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को प्रोन्नत करेगी। इस श्रेणी के अधीन परियोजनाओं की कुल क्षमता समय–समय पर यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्य या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी। उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के चयन हेतु समय–समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। सौर परियोजना के भावी विकासकर्ता हेतु उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा नियत योग्यता मानदंडों का एक सैट होगा। इस नीति के अधीन प्रोत्साहनों के लिये केवल उत्तराखण्ड राज्य में संस्थापित की जाने वाली परियोजना क्षमताएं ही योग्य होंगी।	(क)	प्रकार एक परियोजनाएं :– उत्तराखण्ड सरकार यहां के डिस्कॉम को विद्युत की सीधी बिक्री के लिये सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को प्रोन्नत करेगी। इस श्रेणी के अधीन परियोजनाओं की कुल क्षमता समय समय पर यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्य या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी। उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के चयन हेतु समय समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। सौर परियोजना के भावी विकासकर्ता हेतु उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा नियत योग्यता मानदंडों का एक सैट होगा। इस नीति के अधीन प्रोत्साहनों के लिये केवल उत्तराखण्ड राज्य में संस्थापित की जाने वाली परियोजनां क्षमताएं ही योग्य होंगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 05 मेगावॉट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाऐं उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों के आवंटन हेतु उपलब्ध होंगी।
प्रस्तर–9	भूमि की आवश्यकता :–		9.	भूमि की आवश्यकता :–
	(ख)	भूमि का चिन्हीकरण :–	(ख)	भूमि का चिन्हीकरण :–
	(एक)	विकासकर्ता उत्तराखण्ड राज्य के भीतर अपनी परियोजना हेतु कोई उपयुक्त भूमि चिन्हित करेंगे।	(एक)	विकासकर्ता उत्तराखण्ड राज्य के भीतर अपनी परियोजना हेतु कोई उपयुक्त भूमि चिन्हित करेंगे।
	(दो)	यदि विकासकर्ता अपनी परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करते हैं तो वे स्टैम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट के लिये योग्य होंगे तथा यदि वे इस निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत इस भूमि पर सौर परियोजना संस्थापित नहीं करते हैं तो दी गयी छूट वापस ले ली जायेगी और प्रक्रिया	(दो)	चूंकि राज्य में प्रभावी उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015 (यथासंशोधित) में गैर पारम्परिक एवं नवीकरणीय तरीकों से ऊर्जा उत्पादन एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण को सम्मिलित किया गया है। अतः इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति,

Scanned by CamScanner

		अनुसार वसूली की जायेगी।		2015 (यथासंशोधित) में प्रदत्त सुविधायें अनुमन्य होंगी।
	(तीन)	यदि विकासकर्ता द्वारा इस नीति के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे विकासकर्ताओं को भूमि के सापेक्ष रूपांतरण दर (यदि कोई हो) के भुगतान से मुक्त रखा जायेगा	(तीन)	विलोपित।
प्रस्तर–27	(i)	अन्य सुविधायें :– सभी सौर ऊर्जा उपकरण, अनुप्रयुक्त उत्पाद और सौर उपकरण से संबंधित मदों को प्रवेश शुल्क तथा वैट से छूट प्राप्त होगी।	(i)	विलोपित।

राज्य में सौर ऊर्जा के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश/नीतियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना में निहित नीति के उद्देश्य, बिन्दु सं0–07, 8(क), 9(ख)(दो), 9(ख)(तीन) तथा 27(i) में उल्लिखित नियमों में संशोधनों के अतिरिक्त शेष नियम अधिसूचना सं0–1044/I/2013-5/14/2009 दि0–27–06–2013 तथा संशोधित अधिसूचना सं0–1050/I/2015-5/14/2009 दि0–01–10–2015 के अन्य सभी प्राविधान यथावत् मान्य होंगे।

उक्त संशोधित अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त समझी जायेगी।

(राधिका झा)
सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या– 1073/I/2018-5/14/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. सचिव समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, उरेडा, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0/उपाकालि/पिटकुल, देहरादून।
11. निदेशक, राजकीय फोटो लीथो प्रैस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 50 मुद्रित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या—162

पंजीकृत संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0—30 / 2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जून, 2013 ई0
आषाढ़ 06, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग

संख्या 1044 / I / 2013—5 / 14 / 2009
देहरादून, 27 जून, 2013

अधिसूचना

प0 आ0—102

उत्तराखण्ड की सौर ऊर्जा नीति, 2013

किसी भी देश की प्रगति और उसके आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये ऊर्जा एक महत्वपूर्ण निर्विष्ट है। यह मूल आवश्यकताओं में से एक है तथा उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने का एक माध्यम है।

भारत को ऊर्जा की अत्यन्त कमी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण इसकी औद्योगिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति बाधित हो रही है। नये ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना उच्च वाष्पशील जीवाश्मी ईंधनों के आयात पर अपरिहार्य रूप से निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विवेकसम्मत उपयोग लिया जाये। नवीकरणीय

Scanned by CamScanner

ऊर्जा स्रोत भारत में ऊर्जा आपूर्ति के आवर्धन के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में भी सहायक होंगे। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर है। अधिकांश ऊर्जा उत्पादन कोयले के द्वारा किया जाता है जिससे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन होता है।

भारत को अपनी आबादी और तीव्र गतिमान अर्थव्यवस्था हेतु ऊर्जा की व्यवस्था करना एक गंभीर चुनौती है। इसे संपूर्ण ऊर्ज़ा आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा के भाग में वृद्धि को एक अच्छे अवसर व साथ ही साथ एक आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराने और जीवश्मी ईंधनों पर आयात निर्भरता घटाने की भी आवश्यकता है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत का एक उत्तरदायी, धारणीय और पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण है।

भारत सौर ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है। यहां 300 धूप वाले दिनों और 4–7 kwh/m^2 के मध्य औसत सौर विकिरण के साथ सौर ऊर्जा की भारी संभाव्यता है। सौर ऊर्जा संयंत्रों पर अनेकों उद्यमियों द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में हाल में भारी वृद्धि हुई है। भारत में सौर ऊर्जा अभी भी नवजात अवस्था में है।

उत्तराखण्ड को विद्युत उत्पादन हेतु प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन बहुतायत से प्राप्त है। उत्तराखण्ड में बहुविध सूक्ष्म जलवायु अंचल हैं। पर्वतीय क्षेत्र 'शीत व धूप वाले' और 'शीत व बादल वाले' जलवायु अंचलों के समीप हैं जबकि देहरादून जैसे कुछ स्थान अर्ध–सामान्य जलवायु के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर और रूद्रपुर जैसे कुछ मैदानी क्षेत्र मिश्रित जलवायु अंचलों में आते हैं। संपूर्ण राज्य को पर्याप्त मात्रा में सौर आतपन मिलता है जो कि लगभग 4.5 – 5.5 kwh/m^2/ है। उत्तराखण्ड सरकार राज्य में सौर ऊर्जा की प्रोन्नति हेतु एक समग्र नीति प्रदान करना चाहती है।

यह नीति सौर्य ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के उत्पादन में सार्वजनिक और निजी निवेश आकर्षित करने के लिये उपयुक्त वातावरण निर्मित करने का प्रयास करती है। उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति–2013, उत्तराखण्ड राज्य में सौर ऊर्जा के प्रोन्नयन में एक समग्र नीति प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

Scanned by CamScanner

नीति के उद्देश्य

उत्तराखण्ड सरकार की प्रस्तुत सौर ऊर्जा नीति, 2013 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: –

– कोयला, गैस और तेल जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा हरित व स्वच्छ ऊर्जा का प्रोन्नयन;
– वर्ष 2017 तक 500 MW सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य;
– राज्य में रोजगार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न करना;
– नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेशकों की संबद्धता हेतु सहायक परिस्थितियों का सृजन;
– सौर ऊर्जा स्रोत के उपयोग में वृद्धि करना ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण में सहायता मिले।

संकल्प

1. नाम: –

इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति 2013" है।

2. प्रचालन अवधि: –

यह नीति, इस के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी तथापि, उत्तराखण्ड सरकार आवश्यकतानुसार आवश्यक संशोधन कर सकेगी।

3. प्रयोज्यता: –

सभी सौर ऊर्जा आधारित ऊर्जा परियोजनाओं (सौर पी वी/सौर तापीय) पर यह नीति लागू होगी।

4. नोडॅल एजेन्सी: –

उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) नोडॅल एजेन्सी होगी तथा उत्तराखण्ड सरकार "उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2013" के कार्यान्वयन हेतु सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

5. क्षमता सीमा: –

प्रत्येक सौर ऊर्जा विकासकर्ता को न्यूनतम आबंटन 100kw तथा अधिकतम क्षमता आबंटन 50 MW होगा तथापि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के निगमों को परियोजना आबंटन हेतु कोई क्षमता सीमा नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

6. नीति के अधीन सौर परियोजनाओं के निम्न प्रकार होंगे–

प्रकार एक	:	समय समय पर यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड डिस्कॉम के आरपीओ दायित्व को पूरा करने के लिये उनको ऊर्जा विकय हेतु प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के अनुसार चयनित परियोजनाएं।
प्रकार दो	:	निजी भूमि पर राज्य के भीतर या बाहर कैप्टिव उपयोग या तृतीय पक्ष को ऊर्जा विकय हेतु स्थापित परियोजनाएं या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) रीति से स्थापित की जाने वाली परियोजनाएें।
प्रकार तीन	:	सरकारी भूमि पर राज्य के भीतर या बाहर कैप्टिव उपयोग या तृतीय पक्ष को ऊर्जा विकय हेतु स्थापित परियोजनाएं या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) रीति से स्थापित की जाने वाली परियोजनाएें।
प्रकार चार	:	एमएनआरई, भारत सरकार के जवाहर लाल नेहरू सौर मिशन कार्यकमके अधीन स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाएं।

7. <u>योग्य यूनिटें</u>: –

इस नीति के अधीन सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये सभी पंजीकृत कंपनियां, फर्म्स, संस्थाएं, सोसायटीज़, केन्द्र व राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र सौर ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता योग्य होंगे।

8. **सौर ऊर्जा विकासकर्ताओं का चयन**

(क) <u>प्रकार एक परियोजनाएं</u>: उत्तराखण्ड सरकार यहां के डिस्कॉम को विद्युत की सीधी बिकी के लिये सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को प्रोन्नत करेगी। इस श्रेणी के अधीन परियोजनाओं की कुल क्षमता समय समय पर यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्य या उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित किये अनुसार होगी। उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रकिया के द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना के चयन हेतु समय समय पर प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। सौर परियोजना के भावी विकासकर्ता हेतु उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा नियत योग्यता मानदंडों का एक सैट होगा। इस नीति के अधीन प्रोत्साहनों के लिये केवल उत्तराखण्ड राज्य में संस्थापित की जाने वाली परियोजना क्षमताएं ही योग्य होंगी।

(ख) <u>प्रकार दो परियोजनाएं</u>: उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत भावी विकासकर्ताओं से निजी भूमि पर सोलर पावर परियोजनाओं (सोलर पी0वी0 एवं सोलर थर्मल) स्थापित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे। ऐसे

Scanned by CamScanner

भावी विकासकर्ता जो निजी भूमि पर सोलर पावर प्लान्ट लगाने हेतु इच्छुक होंगे, द्वारा **संलग्नक एक** के अनुसार निर्धारित प्ररूप पर आवश्यक सूचना/अभिलेख जमा किए जायेंगे।

इस प्रकार के अन्तर्गत स्थापित होने वाली परियोजनाओं पर राज्य सरकार की ओर से जारी प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

(ग) **प्रकार तीन परियोजनाएं:** उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत भावी विकासकर्ताओं से चयनित सरकारी भूमि (यदि उपलब्ध हो) पर सोलर पावर परियोजनाओं (सोलर पी0वी0 एवं सोलर थर्मल) स्थापित करने हेतु **संलग्नक दो(क)** एवं **संलग्नक दो (ख)** के अनुसार प्रस्ताव आमंत्रित किए जायेंगे।

ऐसे भावी विकासकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव को दो अलग–अलग लिफाफों में जमा किया जायेगा। प्रथम लिफाफे में **संलग्नक दो (क)** के अनुसार वांच्छित आवश्यक अभिलेख/सूचनाऐं उपलब्ध करायी जायेगी तथा द्वितीय लिफाफे (**संलग्नक दो(ख)** के अनुसार) में प्रति मेगावाट क्षमता उत्पादन के सापेक्ष अधिकतम निःशुल्क विद्युत (मिलियन यूनिट में) उपलब्ध कराये जाने की सूचना दी जायेगी।

संलग्नक **दो (क)** के अनुसार वांच्छित सूचनाओं/अभिलेखों को मोहरबंद लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना होगा। इस लिफाफे पर **प्रकार तीन परियोजनाओं हेतु आवेदन** अंकित होना चाहिए। द्वितीय लिफाफे में संलग्नक **दो (ख)** के अनुसार वांच्छित सूचना देते हुए इस लिफाफे पर उत्तराखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2013 के अन्तर्गत **प्रकार तीन परियोजनाओं हेतु प्रति मेगावाट उत्पादन पर निःशुल्क विद्युत (मिलियन यूनिट में)** अंकित होना चाहिए।

तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं हेतु प्राप्त आवेदनों की छटनी की जायेगी तथा केवल छांटे गये आवेदनों के द्वितीय लिफाफे को खोला जायेगा। ऐसे आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा जिनके द्वारा एक ही लिफाफे में दोनों प्रकार की सूचनाऐं जमा की जायेगी।

सफल आवेदनकर्ता को सरकारी भूमि का आवंटन

(क) उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा, उत्तराखण्ड में प्रचलित भू–राजस्व नियम/कानूनों (जो कि समय–2 पर संशोधित किए जा सकते हैं) के अनुसार, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत, वन पंचायत या किसी अन्य सरकारी विभाग के स्वामित्व वाली भूमि को चिह्नित करेंगे। उत्तराखण्ड सरकार भूमि का कब्जा लेगी और तत्पश्चात् चयनित विकासकर्ता को भूमि उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करेगी।

Scanned by CamScanner

(ख) सरकारी भूमि (यदि उपलब्ध हो) सौर ऊर्जा परियोजना की संस्थापना हेतु उत्तराखण्ड में लागू भूमि राजस्व नियमों/कानूनों के अनुसार परियोजना विकासकर्ता को 30 वर्षों हेतु दीर्घावधि पट्टे पर दी जायेगी।

(ग) सरकारी भूमि (यदि उपलब्ध हो) के उपयोग हेतु अनुमति उत्तराखण्ड भूमि राजस्व नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जायेगी।

(घ) यदि आवंटित सरकारी भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित विकासकर्ता को दिए गए पट्टे की अनुमति तत्कालिक प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी एवं भूमि पर विकासकर्ता द्वारा निर्मित संरचनाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जायेगा।

(ङ) पट्टे की अवधि पूर्ण हो जाने पर यह भूमि एवं निर्मित सम्पूर्ण परियोजना उपकरणों, पारेषण सुविधा तथा अन्य सामग्री राज्य सरकार को लौटानी होगी। तथापि उक्त संरचनाओं/सुविधाओं की तत्समय बुक वैल्यू के अनुरूप धनराशि सम्बन्धित विकासकर्ता को राज्य सरकार/उरेडा द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) <u>प्रकार चार परियोजनाएं</u>:

उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा, समय समय पर संशोधित JNNSM के अधीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भावी विकासकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे।

9. भूमि आवश्यकता

(क) भिन्न प्रौद्योगिकी पर सौर ऊर्जा संयंत्र (सौर पीवी या सौर तापीय) स्थापित करने के लिये सौर ऊर्जा विकासकर्ता को सरकारी भूमि हेतु अधिकतम भू उपयोग अनुमति प्रति MW 2.5 हेक्टेयर होगी।

(ख) <u>भूमि का चिह्निकरण</u>: –

(एक) विकासकर्ता उत्तराखण्ड राज्य के भीतर अपनी परियोजना हेतु कोई उपयुक्त भूमि चिह्नित करेंगे।

(दो) यदि विकासकर्ता अपनी परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करते हैं तो वे स्टैम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट के लिये योग्य होंगे तथा यदि वे इस निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत इस भूमि पर सौर परियोजना संस्थापित नहीं करते हैं तो दी गई छूट वापस ले ली जायेगी और प्रक्रिया अनुसार वसूली की जायेगी।

Scanned by CamScanner

(तीन) यदि विकासकर्ता द्वारा इस नीति के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना हेतु कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे विकासकर्ताओं को भूमि के सापेक्ष रूपांतरण दर (यदि कोई हो) के भुगतान से मुक्त रखा जायेगा।

(चार) यदि आवंटित सरकारी भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाना पाया जाता है तो सम्बन्धित विकासकर्ता को दिए गए पट्टे की अनुमति तत्कालिक प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी एवं भूमि पर विकासकर्ता द्वारा निर्मित संरचनाओं को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जायेगा।

(पाँच) सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण हेतु वांच्छित समस्त वैद्यानिक मंजूरी/अनुमोदन विकासकर्ता द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी;

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि निजी विकासकर्ता द्वारा भूमि का क्रय उत्तराखण्ड में प्रचलित भू–राजस्व नियम/कानूनों (जो कि समय–समय पर संशोधित किए जा सकते हैं) के अनुसार किया जायेगा।

10. <u>जीवाश्मी ईंधनों का उपयोगः</u> –

किसी जीवाश्मी ईंधन अर्थात कोयला, गैस, लिग्नाईट, नाप्था, डीजल, काष्ठ इत्यादि को ग्रिड से जुड़े सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **शुल्क**

(क) प्रकार एक परियोजनाएं

उत्तराखण्ड डिस्कॉम को विकय हेतु शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली के माध्यम के अधीन आबंटित परियोजनाओं के लिये ऊर्जा कय करार का निष्पादन शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रकिया द्वारा प्राप्त शुल्क के अनुसार उत्तराखण्ड डिस्कॉम और सफल बोली दाता के मध्य किया जायेगा। तथापि, दरें यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से अधिक नहीं होंगी।

(ख) प्रकार दो एवं प्रकार तीन परियोजनाएं

राज्य के भीतर या बाहर तृतीय पक्ष विकय/कैप्टिव उपयोग के मामले में ऊर्जा कय करार का निष्पादन ऊर्जा उत्पादक और उपाप्तकर्ता के मध्य आपस में सहमत दरों पर किया जायेगा।

आईसी तंत्र के स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के मामले में ऊर्जा कय करार, अपेक्षानुसार, ऊर्जा उत्पादकों और उपाप्तकर्ता के मध्य इस संबंध में समय समय पर जारी सीईआरसी और/या यूईआरसी के विनियमों/आदेशों के अनुसार निष्पादित किया

Scanned by CamScanner

जायेगा। ऊर्जा की बैंकिंग के लिये उत्तराखण्ड डिस्कॉम के साथ ऐसी ऊर्जा की बैंकिंग हेतु एक पृथक करार निष्पादित किया जायेगा। उत्तराखण्ड ऊर्जा पारेषण निगम लि0 (पिटकुल)/उत्तराखण्ड डिस्कॉम/या अन्य उपयुक्त ग्रिड या नेटवर्क के साथ व्हीलिंग करार पृथक रूप से निष्पादित किया जायेगा।

(ग) प्रकार चार परियोजनाएं

JNNSM के अधीन परियोजनाओं के लिये ऊर्जा क्रय करार सौर ऊर्जा उत्पादक और उपाप्तकर्ता के मध्य JNNSM अधीन MNRE, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जायेगा।

12. व्हीलिंग प्रभारः –

व्हीलिंग प्रभार समय समय पर यूईआरसी द्वारा अवधारित रूप में लागू होंगे।

13. उन्मुक्त अभिगमनः –

यदि किसी विकासकर्ता या लाभार्थी को उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किया जाता है तो उसे समय समय पर यूईआरसी द्वारा अनुमोदित हानियों व लागू उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का भुगतान करना होगा। तथापि, राज्य के भीतर तृतीय पक्ष विक्रय हेतु अभिप्राप्त उन्मुक्त अभिगमन के लिये प्रति सहायिकी अधिभार लागू नहीं होगा।

14. तृतीय पक्ष विक्रयः –

तृतीय पक्ष विक्रय, विद्युत अधिनियम, 2003 और समय समय पर यूई आरसी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार योग्य होगा, जिसके लिये क्रय दर उत्पादन स्टेशन और उपभोक्ता यूनिट के मध्य परस्पर निर्धारित की जा सकती है।

15. समय अनुसूचीः –

इस नीति के अधीन सौर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय अनुसूची निम्नलिखित हैः –

क) सौर पी वी हेतु – परियोजना आबंटन की तिथि से 18 माह

ख) सौर तापीय हेतु – परियोजना आबंटन की तिथि से 30 माह

16. परियोजना के आवंटन हेतु प्रक्रियाः –

I. प्रत्येक प्रकार की परियोजना के लिये उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा समय समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से हितबद्ध विकासकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे।

प्रकार दो परियोजनाओं हेतु हितबद्ध विकासकर्ता द्वारा संलग्नक 1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा के पास आवेदन जमा करेंगे

Scanned by CamScanner

तथा प्रकार तीन परियोजनाओं हेतु हितबद्ध विकासकर्ता द्वारा संलग्नक दो (क) एवं संलग्नक दो (ख) में निर्धारित प्रपत्र में उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा के पास आवेदन जमा करेंगे जिसके साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे:–

(एक) कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रति।

(दो) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(तीन) भागीदारी विलेख (यदि लागू हो) की प्रमाणित प्रति।

(चार) उन व्यक्तियों को शक्तियां प्रदान करने के प्राधिकार की प्रमाणित प्रति जो उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा/उत्तराखण्ड डिस्कॉम के साथ एमओयू/करार निष्पादित करने के लिये सक्षम हैं।

(पाँच) उस स्थल हेतु सौर डाटा निर्धारण रिपोर्ट जिस पर संयंत्र विकसित किया जाना है।

(छ:) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (दो हार्ड कापी और एक सॉफ्ट कापी)। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भूमि की अवस्थिति, प्रस्तावित प्रौद्योगिकी, वित्त पोषण व्यवस्था, ऊर्जा निष्क्रमण प्रणाली की व्यवस्था और जल की उपलब्धता (सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र के मामले में) सम्मिलित होनी चाहिये।

(सात) देहरादून में देय, निदेशक, उरेडा के पक्ष में रू0 25,000/– प्रति MW और उसके भाग की दर से प्रक्रमण शुल्क (अप्रतिदेय) हेतु डिमांड ड्राफ्ट।

(आठ) पिछले तीन वर्षों की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट।

(नौ) कंपनी की निवल संपत्ति दर्शाते हुए चार्टरित लेखाकार का प्रमाणपत्र।

(दस) प्रौद्योगिकी/उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौर ऊर्जा विकासकर्ता के करार की प्रति के साथ गठजोड़/सहयोग/आपूर्ति पत्र

(ग्यारह) कंपनी के लैटर हैड पर अपनी वचनबद्धता के साथ परियोजना की पूर्णता और ऊर्जा आपूर्ति हेतु अनुसूची की सुनिश्चितता के लिये कंपनी/सहायता संघ की तकनीकी क्षमता का दस्तावेजी साक्ष्य।

Scanned by CamScanner

(बारह) उपयोग में लाये जाने वाली पीवी मॉड्यूल्स/इन्वर्टर प्रणाली के लिये यह वचनबद्धता कि वे लागू नवीनतम आईसी मानकों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं।

(तेरह) ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु MNRE द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये वचनबद्धता।

(चौदह) यदि आवेदक, इस सौर ऊर्जा पालिसी के बिन्दु 27 II के अन्तर्गत उल्लिखित लाभ प्राप्त करना चाहता हो, तो आवेदक द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए जिला उद्योग केन्द्र/वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग औद्योगिक सहायता सचिवालय में उद्यमिता ज्ञापन भाग–1 (E.M. Part I) अथवा इण्डस्ट्रियल इन्टरप्रिन्योर्स मैमोरेण्डम (I.E. M. Part-A) फाईल कर उसकी अभिस्वीकृति की प्रति भी संलग्न की जानी होगी।

दो. परियोजना के प्रत्येक प्रकार के अधीन भावी विकासकर्ताओं से नियत समयावधि के भीतर प्राप्त प्रस्तावों का उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा द्वारा संरचित तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) द्वारा संलग्नक तीन के अनुसार निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी योग्यताओं के आधार पर संवीक्षा व लघुसूचीयन किया जायेगा।

तीन. परियोजना के प्रत्येक प्रकार के अधीन लघुसूचीकृत भावी विकासकर्ताओं की सूची उत्तराखण्ड सरकार/उरेडा की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

चार. भावी बोलीदाता को परियोजना का आबंटन परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) <u>प्रकार एक परियोजना के अन्तर्गत :</u> लघुसूचीकृत भावी विकासकर्ताओं में से **शुल्क आधारित प्रतियोगी बोली के द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे।**

(दो) <u>प्रकार दो परियोजना के अन्तर्गत :</u> लघुसूचीकृत भावी विकासकर्ताओं को **परियोजनाऐं आवंटित की जायेगी।**

(तीन) <u>प्रकार तीन परियोजना के अन्तर्गत :</u> लघुसूचीकृत भावी विकासकर्ताओं को **परियोजनाओं का आवंटन उनके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली अधिकतम** नि:शुल्क **विद्युत (मिलियन यूनिट में) के अनुसार आवंटित की जायेगी।**

Scanned by CamScanner

(चार) प्रकार चार परियोजना के अन्तर्गतः परियोजना का आबंटन JNNSM के अधीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समय समय पर संशोधित दिशा निर्देशों/आदेशों/विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

17. प्रतिभूति जमा

पीएसी से अनुमोदन के पश्चात् उरेडा उसके (उरेडा) पास प्रतिभूति जमा करने के लिये सफल विकासकर्ता को आदेश पत्र जारी करेगा। प्रतिभूति की राशि निम्नानुसार होगीः–

(एक) **सरकारी भूमि पर संस्थापित योजनाः** सफल विकासकर्ता को प्रतिभूति के रूप में उरेडा के पास रू.10 लाख प्रति MW या उसके भाग की दर से बैंक गारंटी जमा करनी होगी। बैंक गारंटी की मान्यता सौर पीवी परियोजनाओं के मामले में 24 माह और तापीय पीवी के मामले में 36 माह होगी।

(दो) **निजी भूमि पर संस्थापित परियोजनाः** सफल विकासकर्ता को को प्रतिभूति के रूप मे रू.5 लाख प्रति MW या उसके भाग की दर से जमा कराने होंगे। बैंक गारंटी की मान्यता सौर पीवी परियोजनाओं के मामले में 24 माह और तापीय परियोजनाओं के मामले में 36 माह होगी।

(तीन) सफल विकासकर्ता से बैंक गारंटी प्राप्त करने के पश्चात् यदि परियोजना सरकारी भूमि में प्रस्तावित है तो चिह्नित भूमि के उपयोग की अनुमति के साथ उरेडा द्वारा सफल बोलीदाता को परियोजना आबंटन पत्र जारी किया जायेगा।

यदि सफल विकासकर्ता इस नीति के पैरा 15 में उल्लिखित समयावधि में वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त करने में असफल रहता है तो परियोजना का आबंटन रद्द कर दिया जायेगा और जमा की गई प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी। तथापि, यदि विकासकर्ता नीति में उल्लिखित समयावधि के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त कर लेता है तो बैंक गारंटी वापस कर दी जायेगी।

18. **तकनीकी मूल्यांकन समितिः**

तकनीकी मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगाः–

1. अनु सचिव/उपसचिव, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अनु सचिव/उपसचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा
4. जीएम/डीजीएम (वाणिज्यिक) यूपीसीएल
5. जीएम/डीजीएम (परियोजना), (पिटकुल)
6. विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड सरकार
7. उप मुख्य परियोजना अधिकारी (सौर), उरेडा

Scanned by CamScanner

19. परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगा:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन .... अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, औद्योगिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन ....सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन .... सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन .... सदस्य
5. निदेशक, उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण .... सदस्य सचिव
6. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लिमिटेड .... सदस्य
7. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड .... सदस्य
8. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड .... सदस्य
9. संबंधित जनपदों के जिला कलक्टर .... विशेष आमंत्री

20. **संयंत्र और मशीनरीः –**

इस नीति के अधीन संस्थापना हेतु केवल नये संयंत्र और मशीनरी ही योग्य होंगे।

21. **विद्युत की मीटरिंग: –**

मीटरिंग व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006, ग्रिड संहिता, मीटरिंग संहिता और इस संबंध में यूईआरसी/सीईआरसी द्वारा जारी अन्य सुसंगत विनियमों के अनुसार की जायेगी।

22. **ऊर्जा निष्क्रमण और ग्रिड इन्टरफेसिंग सुविधाः**

ऊर्जा निष्क्रमण और ग्रिड इन्टरफेसिंग व्यवस्था समय समय पर संशोधित सीईआरसी/यूईआरसी द्वारा परिभाषित विनियम/प्रक्रियाओं के अनुसार होगी।

23. **रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार: –**

रिएक्टिव ऊर्जा की निकासी समय समय पर संशोधित यूईआरसी आदेशों के अनुसार प्रभारित की जायेगी।

Scanned by CamScanner

24. सौर ऊर्जा क्रय दायित्वः –

डिस्कॉम्स या उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता या आबद्ध उपभोक्ता समय समय पर संशोधित यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सौर ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करने के लिये दायित्वाधीन हैं।

25. सौर ऊर्जा क्रय दायित्व का अनानुपालनः –

समय समय पर संशोधित यूईआरसी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सौर ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा न करने वाले डिस्कॉम्स या उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता या आबद्ध उपभोक्ता उस वित्तीय वर्ष की अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के सहिष्णु मूल्य की दर पर दंड के भुगतान के दायी हैं।

26. स्वच्छ विकास तंत्रः –

परियोजना विकासकर्ता, समय समय पर सीईआरसी/यूईआरसी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार स्वच्छ विकास तंत्र के लाभ आगे बढ़ायेंगे।

27. अन्य सुविधाएंः –

I सभी सौर ऊर्जा उपकरण, अनुप्रयुक्त उत्पाद और सौर उपकरण से संबंधित मदों को प्रवेश शुल्क तथा वैट से छूट प्राप्त होगी।

II भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माणक नीति के तहत स्थापित होने वाले हरित प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी के लिए यदि भारत सरकार से प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय/अवस्थापना सुविधायें दी जाती हैं तो इन सहायताओं का लाभ इस नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली परियोजनाओं को भी अनुमन्य होगा।

28. कठिनाईयां दूर करने की शक्तिः –

यदि इस नीति को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई आती है तो नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, स्वयं के प्रस्ताव से या उन पक्षों, जिन्होंने किसी प्रावधान में परिवर्तन हेतु अभिवेदन किया है, की सुनवाई के पश्चात् कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे प्रावधानों के स्पष्टीकरण जारी करने और साथ ही उसके निर्वचन के लिये प्राधिकृत है।

Scanned by CamScanner